शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

‘विद्यालय प्रबंधन समिति’ प्रशिक्षण
सत्र (2018-19)

विद्यालय प्रबंधन समिति पर मेरी समझ

जुड़ते कदम, बढ़ते कदम, जोड़ते कदम

SMC परिपत्र (सर्कुलर)

माता-पिता के लिए उपकरण (टूल्स)

खेल गतिविधियाँ

SCERT
स्वाध्यायान्मा प्रमदः

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली
वरुण मार्ग, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024

© SCERT, Delhi
December, 2018
18,500 Copies

मुख्य सलाहकार

श्री संदीप कुमार, शिक्षा सचिव, दिल्ली सरकार
श्री संजय गोयल , शिक्षा निदेशक, दिल्ली सरकार
डॉ . सुनीता एस कौशिक, निदेशक, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
श्रीमती रंजना देसवाल, राज्य परियोज़ना निदेशक, एस. एस. ए. , दिल्ली

मार्ग दर्शक

डॉ. नाहर सिंह, सयुंक्त निदेशक, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली

समन्वयक एवं संपादक

रितिका डबास, वरिष्ठ प्रवक्ता, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली

परियोज़ना कार्यदल

डॉ. नाहर सिंह, सयुंक्त निदेशक, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
रितिका डबास, वरिष्ठ प्रवक्ता ,एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
धीरज कुमार रॉय, प्रवक्ता, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
सलोनी जैन, सी, एम, आई , ई, फ़ेलो ,एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
शीतल सनवाल, साझा
उर्वशी, साझा
शौर्यदीप घोष (गाया स्टूडियो)

प्रूफ़ संशोधक

संजीव राज, प्रवक्ता, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली
मनोज कुमार, प्रवक्ता, एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली

प्रकाशन अधिकारी

डॉ. मुकेश यादव, एस.सी.ई.आर.टी., दिल्ली

प्रकाशन मंडल

नवीन कुमार, राधा, जय भगवान

मुद्रक

चौहान आर्ट प्रेस, करोलबाग, नई दिल्ली-5

निदेशक की कलम से

यह बड़े हर्ष की बात है कि हर साल की तरह "राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद" (SCERT) विद्यालय प्रबंधन समिति" सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु एस.एम.सी (SMC) पुस्तिका प्रकाशित कर रही है| इस प्रकाशन का उद्देश्य दिल्ली के सभी विद्यालयों की "विद्यालय प्रबंधन समिति" सदस्यों को RTE अधिनियम, 2009 के तहत एस.एम.सी के कर्तव्य और दायित्व से अवगत करवाना है|

जैसा कि हम जानते हैं एक बच्चे के विकास के लिए विद्यालय, अभिभावक और समाज का साथ काम करना ज़रुरी है, इन्ही को ध्यान में रखते हुए "शिक्षा का अधिकार" अधिनियम 2009 के तहत दिल्ली के सभी विद्यालयों में "विद्यालय प्रबंधन समिति" का गठन किया गया है| अब आवश्यक है कि विद्यालय स्तर पर यह समितियाँ प्रभावी रूप से गुणात्मक विकास के लिए कार्य करें, इसके लिए समिति का प्रशिक्षण परिषद द्वारा कराया जाता है| इन समितियों से अपेक्षा की जाती है कि विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक और भौतिक रूप से आने वाली समस्याओं को हल करने के साथ -साथ, समुदाय में अन्य अभिभावकों में जागरुकता लाकर, समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का कार्य भी करें|

इन्ही सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए समिति के सदस्यों के क्षमता संवर्धन हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला के लिए यह पुस्तिका तैयार की गयी है|

आशा है कि प्रशिक्षण हेतु यह पुस्तिका उपयोगी सिद्ध होगी और आने वाले समय में इन समितियों के योगदान से विद्यालय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी सुधार देखने को मिलेगा| इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य करने हेतु गैर सरकारी संस्था " साझा " एवं एस. सी. ई. आर. टी में श्रीमती रितिका डबास एवं उनके कार्यदल को बधाई देती हूँ|

डॉ. सुनीता एस. कौशिक
निदेशक
एस. सी. ई. आर. टी, दिल्ली

आमुख

शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2009, भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत सामने आया और 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ| अधिनियम के तहत प्रत्येक बच्चे को मुफ्त व् अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में आता हो| इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को अपने निवास स्थान के निकटतम विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है| कोई भी विद्यालय बच्चे को दाखिले से इन्कार नहीं कर सकता| बच्चे को सरकारी विद्यालय में किसी भी तरह का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शुल्क भी नहीं देना पड़ता है| अभिप्राय यह है कि जब तक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है तब तक सरकार बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगी|

निजी विद्यालयों के लिए भी इस अधिनियम के तहत दिशा-निर्देश है कि उन्हें कुल नामंकन के 25% ऐसे बच्चों का दाखिला बिना किसी शुल्क के अपने विद्यालय में करना होगा जो कि आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्गों से हैं| साथ ही यह निर्देश भी है कि निजी विद्यालय बिना किसी तरह के शुल्क के इन बच्चों को वे सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाएंगे जो शुल्क देने वाले बच्चे ले रहे होंगे|

अत: इस अधिनियम में इस तरह की व्यवस्था को कायम करने व् विधिवत क्रियान्वित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति हो जिसमें विद्यालय, अभिभावक और समाज की प्रत्यक्ष भागीदारी हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उक्त आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो भी रही है या नहीं? इसी के दृष्टिगत इस अधिनियम में माता-पिता, अभिभावक एवं शिक्षक, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता , जनप्रतिनिधि आदि की आवश्यक भागीदारी से प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान रखा गया है|

विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन विद्यालय में विकास की योजनाएँ बनाने के साथ-साथ सामाजिक सहयोग, जनभागीदारी एवं लोक सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम है क्योंकि जनभागीदारी के बिना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती| इसलिए शिक्षा के मौलिक अधिकार के अधिनयम में सामुदायिक सहभागिता की अनिवार्यता को ज़ोरदार ढंग से रखा गया है| उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की प्रभावी भूमिका हेतु प्रशिक्षण के लिए यह पुस्तिका तैयार की गयी है| जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति की शिक्षा के अधिकार में आवश्यकता, विद्यालय विकास योजना, विद्यालय में आपसी सहयोग और अभिभावक भागीदारी बढ़ाने के विभिन्न तरीकों आदि पर रोचक व् प्रभावी क्रियाकलापों के माध्यम से विस्तृत चर्चा की गयी है|

इस कार्य के सृजन में परिषद् के शिक्षाविदों और गैर-सरकारी संस्था "साझा" का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके प्रयासों के बिना इस दस्तावेज़ को पूरा नहीं किया जा सकता| आशा है कि यह दस्तावेज़ "विद्यालय प्रबंधन समिति" के सदस्यों के क्षमता संवर्धन में सहायक सिद्ध होगा|

शुभकामनाओं सहित
डॉ. नाहर सिंह
संयुक्त - निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी., दिल्ली

परिचय

निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (आरटीई) के अनुच्छेद 21, सभी स्कूलों और देश के विशेष श्रेणी के स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के गठन का निर्देश है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्कूल के कामकाज में माता-पिता की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रशासन के एक विकेन्द्रीकृत मॉडल की मूल इकाई के रूप में एसएमसी की कल्पना करता है।

SMC के सदस्यों की क्षमता विकास हेतु यह पुस्तिका तैयार की गयी है ताकि समिति के सदस्य विद्यालय के विकास में अपना सहयोग दे सके| यह पुस्तिका तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गयी है जिसके तहत i) अपेक्षाओं का मूल्यांकन ii) परिणामों का परिचित्रण iii) विषय-वस्तु (सत्रों) की रचना iv) प्रोटोटाइप v) पुनरीक्षण आता है |

प्रक्रिया को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एसएमसी सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया और इसके तहत एसएसएमसी से जुड़े पदधारकों के साथ समूह चर्चा कर एक प्रश्नवाली तैयार की गयी थी| इस प्रश्नवाली को एस एस ए (SSA) में कार्यरत सीआरसीसी (CRCC) ने दिल्ली के 216 स्कूलों के 6-6 एसएमसी सदस्यों(1 प्रधानाचार्य, 1 टीचर कन्वीनर,1 सामाजिक कार्यकर्ता, 1 जनप्रतिनिधि, 2 अभिभावक सदस्य) से गूगल फॉर्म की सहायता से भरवाया | हर सदस्य को 11 में से तीन विषयों को चुनना था जिस पर वह प्रशिक्षण चाहते थे |

इन फॉर्म्स का विश्लेषण कर पांच विषय चुने जिन्हें एसएमसी सदस्यों ने प्राथमिकता दी थी| इस विषय सूची में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को मिलने वाली सुविधाएँ और SMC की आवश्यकता, कार्य और दायित्व हैं| इसके साथ ही विद्यालय की वार्षिक कार्ययोज़ना का निर्माण एवं क्रियान्वन, बच्चों के सीखने के स्तर और अभिभावक भागीदारी को बढ़ाने जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है | इन चुने गए विषयों पर गतिविधियाँ तैयार की गयी जिन्हें कुछ स्कूलों के SMC सदस्यों, डीआरयू और डीयूआरसीसी के साथ प्रोटोटाइप करने के बाद बनायी गयी है और सभी सुझावों को गतिविधियों में सम्मिलित किया गया|

SMC सदस्यों को ध्यान में रखते हुए, इस पुस्तिका को वीडियो, गतिविधियों, चित्र आदि के द्वारा रोचक व् सरल बनाने का प्रयास किया गया है| यह पुस्तिका बनाने का उद्देश्य तभी सफल होगा जब इन सभी बिंदुओं को विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य गहन अध्ययन कर अपने स्कूल की स्थिति को जान पायेंगे और विद्यालय विकास योजना का निर्माण करके उसका क्रियान्वन भी सुनिश्चित कर सकेगें |

आशा है कि यह पुस्तिका आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप प्रभावीरूप से इसका उपयोग कर अपने स्कूल के विकास में सहयोग कर पाएंगे| पुस्तिका के विकास से संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और सहयोग महत्वपूर्ण है|

आपके द्वारा दिए गए सुझाव का सदैव स्वागत रहेगा |

समन्वयक एवं संपादक
रितिका डबास
वरिष्ठ प्रवक्ता
एस. सी. ई. आर. टी. , दिल्ली

विद्यालय प्रबंधन समिति पर मेरी समझ

अनुक्रमणिका

क्र. स.	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	शिक्षा का अधिकार	1-2
2.	SMC के कार्य	3
3.	SMC कार्यक्रम और पहल के क्रियान्वन के लिए योजना - SMC हेतु	4-6
4.	'शिक्षा का अधिकार' के अंतर्गत विद्यालय विकास योजना फॉर्मेट	7-13
5.	बच्चे और माता-पिता की भागीदारी टूल्स	14-18
6.	समस्या और समाधान	19
7.	कार्यशाला के दौरान कराई जा सकने वाली खेल गतिविधि	20-22

शिक्षा का अधिकार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत सामने आया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ | अधिनियम के तहत प्रत्येक उस बच्चे को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त हुआ जो 6-14 वर्ष के आयु वर्ग में आता हो |"शिक्षा का अधिकार" अधिनियम के तहत दिये गए प्रावधानों की व्याख्या नीचे लिखी गयी है :

1. नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य

अधिनियम के तहत प्रत्येक उस बच्चे को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार दिया हुआ है जो 6-14 वर्ष के आयु वर्ग में आता हो |
इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को अपने निवास स्थान के निकटतम विद्यालय में शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है |

2. नि:शुल्क का तात्पर्य

i) पाठ्यपुस्तकें ii) वर्दी iii) किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के साथ पुस्तकालय iv) खेल उपकरण v) मिड डे मील vii) आयु-उपयुक्त शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था viii) जन्म प्रमाण पत्र ix) स्थानांतरण प्रमाण पत्र xi) बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने के लिए किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं देना |

3. स्कूल में निषेध कार्य

(क) शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न; (ख) कोई भी विद्यालय बच्चों के प्रवेश के लिए इंकार नहीं कर सकता (ग) प्रति व्यक्ति शुल्क; (घ) अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और (ङ.) बिना मान्यता के विद्यालय के संचालन को निषेध करता है।

शिक्षा का अधिकार

4. सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्यों और दायित्वों

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, अभिभावकों कर्तव्यों और दायित्वों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है।

5. छात्र-शिक्षक अनुपात

प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 1:30 होना | माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 1 : 35 |
यदि विद्यालय में बच्चों की संख्या 200 से ज्यादा हो तो शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 भी हो सकता है |

6. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षको के गैर-शैक्षणिक कार्य

दसवर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, विधान सभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत

7. दण्ड रहित शिक्षा

RTE बच्चे के सम्पूर्ण विकास (ज्ञान व प्रतिभा) के लिए मित्रवत प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने को सुनिश्चित करता है |
RTE के अधिनियम की विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं|
http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/RTE_Section_wise_rationale_rev_0.pdf

विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य

SMC- क्या, क्यों और कैसे?

विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य:

1. विद्यालय में आस-पास के सभी बच्चों का दाखिला और निरंतर उपस्तिथि सुनिश्चित करना|
2. विद्यालय के कार्य सुचारु रूप से हो, इसमें अपना सहयोग देना |
3. विद्यालय में प्रयोग होने वाले अनुदानों और मिड-डे-मील आदि के सही प्रयोग में सहयोग देना|
4. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों का निरीक्षण करना |
5. निरीक्षण करना कि शिक्षा का अधिकार(RTE) अधिनयम सेक्शन-27 के अतिरिक्त, अध्यापकों पर अन्य किसी गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों का भार ना हो |
6. बच्चों के अधिकारों के बारे में आस-पास के लोगों को आसान और रचनात्मक तरीके से बताना |
7. निरीक्षण करना कि विकलांग बच्चों को नामांकन और दाख़िला संबंधी सुविधा मिले और वे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करें|
8. विद्यालय विकास योजना (SDP) तैयार करना और सुझाव देना|
9. अभिभावक और सरंक्षक के साथ नियमित रुप से मीटिंग करना और बच्चों के बारे में उपयुक्त सूचना देना |
10. विद्यालयी वातावरण को प्रभावी बनाना, जिससे अध्यापक नियमितरुप व् सही समय पर विद्यालय में उपस्थित हो सकें|
11. आदेशों और मानदण्डों के अनुरक्षण का निरीक्षण करना जो कि अनुसूची में विशेषतौर पर दिए गए हैं|
12. उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या किसी ओर स्त्रोत से प्राप्त अनुदान का उपयोग करना |

SMC कार्यक्रम और पहल के कार्यान्वयन के लिए योजना (फंड्स से संबन्धित सर्कुलर)

Scheme for Implementation of SMC program and Initiatives

1. विद्यालय कल्याण समिति योजना (स्कीम) को बदलकर अब स्कूल प्रबंधन समिति फण्ड नाम दे दिया गया है |
2. बदली हुई योजना में फंड्स स्कूल बिल्डिंग के इंचार्ज के अनुसार नहीं होकर बच्चों की नामांकन संख्या के अनुसार हैं | फंड्स का विवरण कुछ इस तरह से है -

नामांकन की सीमा/संख्या (पिछले साल 1 सितम्बर के अनुसार)	राशि का निर्धारण प्रति स्कूल/प्रति छात्र (रुपए लाख में)
1500 तक	5 लाख
1501 से 2500 तक	6 लाख
2501 या इससे ज़्यादा	7 लाख

3. स्कूल प्रबंधन समिति को मिलने वाला यह फण्ड केवल 2 ही परिस्थिति में संशोधित (रिवाइज़) किया जाएगा -
   a) यदि बच्चों का नामांकन, कार्य-संबंधी सुविधाएं और सुविधाओं का बेहतर उपयोग कम होने पर कोई दो स्कूल मर्ज हुए हों |
   b) यदि कोई एक स्कूल बच्चों का नामांकन बढ़ने, बिल्डिंग निर्माण के कारण कमरों की कमी होने आदि की वज़ह से 2-3 स्कूलों में बंट जाता है |

4. गतिविधियों की सूची जिसके लिए संशोधित योजना के तहत धन आवंटित किया जाएगा, व्यापक रूप से दो उप-प्रमुखों के तहत समूहित किया जाता है, अर्थात् संशोधित योजना के तहत यह फण्ड मुख्यरुप से दो तरह की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है -
   a) मामूली मरम्मत व् रखरखाव और
   b) स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा स्कूल विकास योजना में जोड़े गए मुद्दे, जिनपर कार्य किया जाना आवश्यक है |

5. कुल फंड्स में से 50% तक फण्ड मामूली मरम्मत व् रखरखाव पर और बाकि 50% स्कूल प्रबंधन समिति की सहमति से कार्य करने लिए चुने गए मुद्दों पर खर्च कर सकते हैं | स्कूल प्रबंधन समिति की सहमति के आवश्यकतानुसार यह फण्ड इन दो या ज्यादा उपयोग लिए जा सकते हैं |

6. दो शिफ़्ट में चलने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि मामूली मरम्मत व् रखरखाव से जुड़ा कोई भी कार्य दोहराया नहीं जाए | क्योंकि यह दोनों शिफ़्ट एक ही बिल्डिंग का उपोग करती हैं इसलिए ऐसा बहुत ज़रुरी है, इसके लिए जिस भी SMC मीटिंग में 'मामूली मरम्मत व् रखरखाव' से जुड़े कार्य का निर्णय लिया जाना हो उसमें अन्य शिफ्ट के प्रधानाध्यापक को ज़रुर बुलाया जाए |

7. स्कूल प्रबंधन समिति की पहल (अनुलग्नक/ annexure -B) के अंतर्गत किसी भी उस व्यक्ति को ठेके के तौर पर काम (ad hoc/contractual/partime) पर नहीं रखा जा सकता है जिसके ऊपर पहले से सी लायबिलिटी) चल रही हो | उल्लंघन के मामले में, HOS जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

8. पारदर्शिता को बढ़ावा देने/बनाए रखने के लिए, हर स्कूल को मासिक रुप से स्कूल में हुए ख़र्च की जानकारी e-register करनी होगी | इसके लिए स्कूल DoE के वेब पोर्टल पर जा सकते हैं |

9. w.e.f 2018-19 बाला (BALA -Building and Learning Aid) फण्ड स्कीम से बंद किया जा रहा है

A. मामूली सिविल कार्य/मरम्मत

A.1 टूटी/टपकती टंकी की मरम्मत |
A.2 बारिश के पानी के पाइप, सीवर लाइन, मैन्होल और ख़राब पाइपलाइन मरम्मत |
A.3 दरवाज़ों व् खिड़की के शीशों/FRP शीट्स की मरम्मत या उनको बदलना |
A.4 पानी की टंकी बदलना |
A.5 वाशबेसिन के पाइप को बदलना |
A.6 PVC वाटर टैंक व् टूटी लिड को बदलना |
A.7 PVC वाटर टैंक में वैल्व को बदलना |
A.8 समय-समय पर छत की साफ़-सफाई |
A.9 स्कूल की साधारण सफाई |
A.10 शौचालयों की साधारण सफाई |
A.11 मलबे को हटाना |
A.12 सीवर की सफ़ाई |
A.13 टूटी हुई दीवार/ ईंट आदि को भरना या जोड़ना |
A.14 स्कूल की चारदीवारी, गेट और ट्यूब वेल की मरम्मत |
A.15 फ़र्श की मरम्मत या पैचिंग |
A.16 पानी की लाइन में GI पाइप उपलब्ध और फ़िक्स करवाना |
A.17 शौचालय में क्लाटेरन उपलब्ध करवाना |
A.18 पानी की फ़िक्स करवाना |
A.19 शौचलय की सीट उपलब्ध व् फ़िक्स करवाना |
A.20 फिनायल, तेजाब, डस्टर व् पोछा आदि खरीदना |
A.21 ब्लैक बोर्ड पेंट करवाना |
A.22 क्लासरूम की दीवारें और स्टेज की मरम्मत
A.23 क्लासरूम के गेट के साथ कब्ज़े और कुंडे ठीक करवाना |
A.24 दरवाजों की लोहे की शीट फिक्स करवाना |
A.25 दरवाज़ों के इंटर लॉक ठीक करवाना |
A.26 कम ख़र्च वाली टाइल्स उपलब्ध व् फ़िक्स करवाना |
A.27 पेंटिंग कार्य करवाना |
A.28 वेल्डिंग कार्य करवाना |
A.29 खिड़कियां ठीक करवाना या बदलना |
A.30 PVC वाटर टैंक्स खरीदना या बदलना |

A.31 ग्लास फिटिंग और विंडो पैन -
a) ग्लास फिटिंग और विंडो पैन बदलना |
b) दरवाज़ों व् खिड़की के शीशों/FRP शीट्स की मरम्मत या उनको बदलना |

SMC कार्यक्रम और पहल के कार्यान्वयन के लिए योजना (फंड्स से संबन्धित सर्कुलर)

A.32 सैनिटेशन कार्य (प्राइवेट एजेंसी के अलावा किया गया) -
- a) WC, बारिश के पानी के पाइप, सीवर लाइन की मरम्मत।
- b) मैन्होल / सीवर के ब्लॉकेज सफ़ाई।
- c) शौचालय में क्लाटेरन और सीट फ़िक्स करवाना।
- d) वाशबेसिन और सिंक को बदलना या मरम्मत करना।

A.33 पानी से जुड़ा कार्य -
- a) PVC वॉटर टैंक्स और पानी की टंकी खरीदना और बदलना।
- b) टपकती टंकी की मरम्मत और पानी की लाइन में GI पाइप फ़िक्स करवाना।
- c) टैंक्स में टूटी लिड और वैल्व को बदलना।
- d) वॉटर पम्पस या ट्यूब वेल की मरम्मत।
- e) आवश्यकता होने पर वॉटर टेकर लेना।

A.34 चारदीवारी और गेट -
- a) चारदीवारी की मरम्मत।
- b) गेट आदि में लोहे की शीट व् इंटरलॉक फ़िक्स करवाना।
- c) सुरक्षा लाइट या सुरक्षा नेट उपलब्ध करवाना।

A.35 क्लासरूम सुधार/ विकास -
- a) क्लासरूम की दीवारों की मरम्मत और फ़र्श की पैचिंग।
- b) गेट के साथ कब्ज़े और कुंडे ठीक करवाना।
- c) ब्लैक बोर्ड पेंटिंग।
- d) बुलटेन बोर्ड खरीदना या मरम्मत करवाना।
- e) क्लासरूम की वायरिंग ठीक करवाना।

A.36 टाइल्स बदलना -
- a) शौचालय की टाइल्स बदलना।
- b) वॉटर ब्लॉक्स।
- c) प्रयोगशाला (विज्ञानं, गणित, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञानं)

B. बाग़ बानी कार्य
- B.1 लॉन को ईंटों से कवर करना।
- B.2 लॉन में कम्पोज़्ड खाद इस्तेमाल करना।
- B.3 पौधे लगाने के लिए मिट्टी खुदाई।
- B.4 पौधे लगाना।
- B.5 गुलदान/गमले खरीदना।

C. बिजली व् इलेक्ट्रॉनिक्स का मामूली कार्य या मरम्मत
- C.1 ट्यूब्स, चॉक्स, स्टार्टर्स, स्विच/सॉकेट।
- C.2 लैम्प्स और ट्यूब लाइट बदलना।
- C.3 हेयलैन शीट बदलना।
- C.4 DBs की मरम्मत के साथ MCB को बदलना।
- C.5 पंखों के ब्लेड की मरम्मत के साथ पंखों की मामूली मरम्मत।
- C.6 सुरक्षा लाइट उपलब्धतता / सुरक्षा लाइट बदलना / फ्लड लाइट
- C.7 क्लासरूम की वायरिंग
- C.8 स्विच बोर्ड आदि फ़िक्स करना
- C.9 पंखों की मरम्मत
- C.10 मोटर वाइंडिंग
- C.11 CFL ट्यूब फ़िक्स करना
- C.12 पंखें और लाइट - बदलना/खरीदना
  - a) सीलिंग पंखें
  - b) एग्जॉस्ट पंखें
  - c) फ्लड लाइट

C.13 बिजली की मामूली मरम्मत
- a) TV, DVD, VCR, टेप रिकॉर्डर जैसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत।
- b) प्रिंटर और कंप्यूटर CD प्लेयर
- c) डुप्लिकेटिंग मशीन, टाइप राइटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम।
- d) वॉटर प्यूरीफाइंग सिस्टम, वॉटर कूलर।
- e) ट्यूब, चोक्स, स्टार्टर, स्विच, पंखें का ब्लेड, वॉटर कूलर

D. अन्य कार्य
- D.1 वॉटर टैंकर्स भाड़े पर लेना।
- D.2 बेकार डेस्क आदि फर्नीचर की मरम्मत
- D.3 बुलटेन बोर्ड की खरीद/ मरम्मत
- D.4 पब्लिक एड्रेस सिस्टम की मरम्मत
- D.5 TV, DVD, VCR, टेप रिकॉर्डर , VCP,VCD प्लेयर, ऑडियो CD प्लेयर, एक्वा गार्ड वॉटर कूलर, फ्रिज, इलेक्ट्रिक मोटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, डुप्लिकेटिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणो की मरम्मत।
- D.6 सुरक्षा नेट उपलब्ध फ़िक्स करना
- D.7 मच्छर दानी उपलब्ध और फ़िक्स करना
- D.8 खिड़की की लोहे की पट्टी उपलब्ध और फ़िक्स करवाना
- D.9 स्टेज पर पेंट
- D.10 बेकार डेस्क के अतिरिक्त अन्य फर्नीचर की मरम्मत
- D.11 लकड़ी का कार्य
- D.12 मेडिकल फर्स्ट ऐड सुविधा की खरीद/बदलना
- D.13 पुस्तकलय - किताबों की बॉन्डिंग
- D.14 बेकार डेस्क के अतिरिक्त अन्य फर्नीचर - बेकार डेस्क के अतिरिक्त अन्य फर्नीचर की मरम्मत
- D.15 संगीत के उपकरण - ढोलक, सितार आदि जैसे संगीत उपकरणों की मरम्मत व् रखरखाव

D.16 मेडिकल ऐड -
- a) बुनियादी दवाइयों के साथ फर्स्ट ऐड बॉक्स की खरीद और बदलाव
- b) बेड ब्लैंकेट की खरीद
- c) सैनिटरी नैपकिन की इमर्जेंट सप्लाई

SMC कार्यक्रम और पहल के कार्यान्वयन के लिए योजना (फंड्स से संबन्धित सर्कुलर)

D.17 मिसलेनियस - SMC द्वारा मंज़ूर/स्वीकृत कोई अन्य मामूली मरम्मत या रखरखाव

D.18 गृह विज्ञान लैब -
   a) OTG (ओवन, टोस्टर, ग्रिल), मिक्सर ग्राइंडर, फ़ूड प्रोसेसर की खरीद
   b) गैस कनेक्शन, गैस स्टोव और सिलिंडर लगवाना

D.19 विज्ञान और गणित लैब - खरीद और बदलाव
   a) ब्लैक बोर्ड/ शेल्व/ रैक्स |
   b) टीचर टेबल और कुर्सी, स्टूल्स
   c) साइंस लैब के उपकरण

Annexure:B -

एसएमसी के तहत गतिविधियों की सूची

1. बाग़बानी, साफ-सफ़ाई, कूड़ा फेंकने के लिए आवश्यक्तानुसार साधारण मज़दूर की भर्ती
2. PTM / विशेष दिन उत्सव / त्यौहार से संबंधित खर्च (स्कूल शाखा द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार)
3. छात्रों की पढ़ाई के विषय से जुड़ी आवश्यक समर्थन सामग्री की फोटोकॉपी और प्रिंटिंग
4. आपातकालीन स्थिति में छात्रों को अस्पताल ले जाने के और फर्स्ट ऐड वस्तुएं खरीदने से संबंधित बिलों का भुगतान
5. चुनौती / बुनियाद और अन्य अभियानों के लिए आंकलन/ शैक्षणिक सामग्री
6. विज्ञान मेले / प्रदर्शनी आदि के लिए छात्रों के लिए विज्ञान परियोजनाओं / विज्ञान मॉडल की तैयारी पर खर्च आदि
7. जोनल / जिला / राष्ट्रीय स्तर की किसी भी अतिरिक्त पाठ्यचर्या प्रतियोगिता के लिए छात्रों की तैयारी
8. प्रतियोगिता / इवेंट / कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए बच्चों के ट्रेवल/ यात्रा खर्च का आयोजन करना
9. शिक्षकों के लिए e-lession plan तैयार करने के लिए आधुनिक/नवीन गैजेट ऑडियो / विजुअल लर्निंग सामग्री / सामग्री की खरीद
10. मुख्य दिनों/ त्योहारों और टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप व् स्कूल स्तर पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम का ख़र्च
11. किसी भी तरह के टीचिंग ऐड /शिक्षण सामग्री की ख़रीद के लिए यदि बजट उपलब्ध नहीं हो या आवश्यकता से कम हो |
12. शिक्षा अधिनियम और दिल्ली RTE नियमों के अधिकार के अनुसार SMC की ज़िम्मेदारियों के अंतर्गत आने वाला कोई अन्य काम |

रिसोर्स पर्सन की इंगेजमेंट के लिए दिशानिर्देश

- एक्सपर्ट्स या रिसोर्स पर्सन द्वारा सेशन या करिएर गाइडेंस /स्पोर्ट्स या और अलग तरह के एक्स्ट्रा करीकुलर गतिविधि के सेशंस ले सकते हैं . यह सेशंस बच्चों को इन मुद्दों पर एक अलग नजरिया प्रदान कर सकते हैं . यह रिसोर्स पर्सन (जो सेशन का सञ्चालन करेंगे - फैसिलिटेटर) किसी सरकारी या गैर सरकारी शिक्षा केंद्र से जुड़े हो सकते हैं या रिटायर्ड भी हो सकते हैं .

- यह रिसोर्स पर्सन HoS और SMC की सहमति से विद्यालय में बच्चों को सीखने के लिए रखे जा सकते हैं , ताकि बच्चों को 10th/12th को कठिन विषयों , स्पोकन इंग्लिश और
- JSTS/NTSE/medical engineering/law/architecture/CA इत्यादि के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करने में मदद मिल सके . रिसोर्स पर्सन एक साल में 200 से ज़्यादा घंटों के लिए नहीं रखे जा सकते हैं और उन्हें वेतन Rs1000/hour के हिसाब से मिलेगा

SMC कार्यक्रम और पहल के कार्यान्वयन के लिए योजना (फंड्स से संबन्धित सर्कुलर)

- रिसोर्स पर्सन सेंट्रल / स्टेट गवर्नमेंट / एडिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिटायर्ड टीचर हो सकते हैं . इसके अलावा रिसोर्स पर्सन दिल्ली के किसी मान्य सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में काम कर रहे टीचर भी हो सकते हैं , पर उन्हें कमसे काम 5 साल का अनुभव होना चाहिए . वह लोग जिनके पास CA, medical जैसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है , या हिंदी या अन्य विषयों में अनुभव है , वह भी रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य कर सकते हैं . हर रिसोर्स पर्सन को पढ़ने के लिए स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाना चाहिए . ट्यूशन सेंटर के staff या बेरोज़गार युवक को रिसोर्स पर्सन नहीं रखा जा सकता है .
- विद्यार्थियों को करियर ओप्तिओंस के बारे में जागरूक करने के लिए रिसोर्स पर्सन द्वारा लेक्चर रखवाए जा सकते हैं . साल में ऐसे 15 से ज़्यादा लेक्टर्स नहीं रखे जा सकते हैं . रिसोर्स पर्सन को Rs1000/hour वेतन मिलेगा . यह रसोरे पर्सन IIT / IIM / DU / DTU अथवा अन्य केंद्रों से हो सकते हैं या working / retired / professional भी हो सकते हैं . इन रिसोर्स पर्सन के द्वारा किसी भी प्राइवेट इंस्टिट्यूट को अपना इंस्टिट्यूट प्रमोट करने की अनुमति नहीं है
- रिसोर्स पर्सन रखने सी पहले HoS को सुनिश्चित करना होगा की कोई टीचर स्कूल में उपलध नहीं है , जो यह विषय पढ़ा सकता है (जिसके लिए रिसोर्स पर्सन को रखा जा रहा हो).
- प्रधानाचार्य / उप-प्रधानाचार्य / सीनियर पीजीटी कम से कम दस प्रतिशत क्लासों का निरिक्षण करेंगे और उनके रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे।
- SMC से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि एक्सपर्ट संसाधन व्यक्ति SMC के कोई भी सदस्य के साथ किसी भी तरह से संबंधित नहीं है।
- संगीत, नृत्य, स्पोर्ट्स, लड़कियों के लिए सेल्फ-डिफेन्स प्रशिक्षण और SMC द्वारा तय की गई अन्य किसी भी गतिविधि के लिए कोच / प्रशिक्षकों को निर्धारित रेट और समय समय पर दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम 4 घंटे प्रति सप्ताह के लिए तैनात करना | यह अधिकार इस शर्त के अधीन है कि उन गतिविधियों के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा कोई निजी अकादमी या सरकारी / कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक प्रदान नहीं किया गया है।
- स्कूल में संसाधन व्यक्ति / बाहरी लोगों को आमंत्रित करते समय बच्चों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है | किसी भी समय शिक्षकों के निगरानी के बिना बच्चों को बाहरी संसाधन व्यक्ति / कोच / प्रशिक्षकों के साथ छोड़ा नहीं जाना चाहिए |
- कूड़ा फेंकने / साफ़-सफाई / गार्डनिंग और अन्य मामूली कार्यों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार प्रति माह 16 आधे दिन की सीमा तक लेबर को भर्ती करना।

‘शिक्षा का अधिकार’ के अंतर्गत "विद्यालय विकास योजना" फॉर्मेट

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: RIGHT TO EDUCATION BRANCH
ROOM NO. 252, OLD SECRETARIAT, DELHI-110054:Ph. 23890097

No. F.DE/18/1/24/2011/ 742-747 **Dated:-** 10.12.2013

CIRCULAR

Subject: - Preparation of ‘School Development Plan’ under RTE

Attention of all Principals/HOS of Govt. Schools under DOE is invited to previous Circular dated 25/03/2013 on the subject ‘Guidelines for Constitution of School Management Committee (SMC) under RTE and its functions’. One of the main functions of SMC is to prepare ‘School Development Plan’ (SDP) for the school in advance under Rule 4 of Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.

Accordingly, the approved format of SDP for the academic session 2014-15 is enclosed herewith. All the HOS of Govt. schools are directed to prepare the same with the help of SMC of the school by 31.12.2013 positively. All the EOs and DDEs are directed to ensure compliance of these instructions. This circular supersedes the earlier circular No. F.DE./18/1/24/2011/658-690 dated 30/09/2013.

Encl: as above.

10.12.13
(Dr. Madhu Rani Teotia)(IAS)
Addl. D.E. RTE

Copy to:-
1. P.S. to Pr.Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi, Old Sectt., Delhi.
2. P.S. to Director (Education), Govt. of NCT of Delhi, Old Sectt., Delhi.
3. SPD (SSA)
4. All Addl. DEs/RDs/DDEs/EOs/DEOs/HOS through DEL E.
5. OS (IT) with the request to upload it on department’s website.
6. Guard File

10.12.13
(Dr. Madhu Rani Teotia)(IAS)
Addl. D.E. RTE

	School Development Plan For the Year 2014-15				
1.	Vision statement of the school for the next 3 year				
	Basic Information				
2.	(a)District		(b)Zone		
3.	(a)Number & Name of Assembly Constituency		(b)Number & Name of MCD ward		
4.	(a)School ID		(b)Building ID		
5.	(a)School Name		(b)E-Mail (School)		
6.	School Address				
7.	(a)Name of Head of school		(b)Designation		
8.	(a)Phone No.(School)		(b)Phone No.(HOS)		
9.	(a) Year of Establishment		(b)Type of School (Gender)	BOY/GIRLS/CO-ED	
10.	(a)Entry Level Class		(b)Level of School		
11.	(a) Shift (Morning/Evening)	Morning/Evening	(b)Shift (Single/ Double)	Single/ Double	
12.(a)	Medium of Instructions(s)	Hindi	English	Urdu	
12(b)	Streams (Science/Commerce/Humanities/Vocational) (Tick)	Science	Commerce	Humanities	Vocational
13.	(a)Structure of Building	Pucca / SPS/ Tin Shed/Mixed	(b) Number of Floors in Building		
	Infrastructure (Based on Enrolment as on 31.08.2013)				
	14.Class Rooms				
Total Requirement of class rooms in school as per RTE Norms	Total No. Available	Additional Requirement (if any)	No. of Rooms for which EOR has already been sanctioned	Balance Requirement	Space available in school for construction of Rooms as specified in Col (5) in consultation with PWD (Yes/No)
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)

1

‘शिक्षा का अधिकार’ के अंतर्गत "विद्यालय विकास योजना" फॉर्मेट

S87/C

	15.Condition of Class Rooms/ Other Rooms					
	Particulars	Repairs Required(Y/N)	Estimated time by which the works shall be completed through VKS/ Building Maintenance Grant		Whether additional funds required (Yes/No)	Amount for which EOR has already been sanctioned
(a)	Flooring	Yes/No	Month	Days		
(b)	Ceiling	Yes/No	Month	Days		
(c)	Wall	Yes/No	Month	Days		
(d)	Black Board	Yes/No	Month	Days		
(e)	Notice Board	Yes/No	Month	Days		
(f)	Roof	Yes/No	Month	Days		
(g)	When was last white wash done?					

	16.Electrical Equipments				
	Particulars	No. of equipments which require repair	Estimated time by which the work shall be completed through VKS/Building Maintenance Grant	Whether additional funds required (Yes/No)	Amount for which EOR has already been sanctioned
(a)	Fans				
(b)	Tube Lights				
(c)	Bulbs				
(d)	Water Pump				
(e)	Flood lights				
(f)	Any other items				
(g)	No. of additional fans and tube lights required to ensure availability of at least 4 each per classroom	**Fans required**	**Tube lights required**		

	17.Ramp, Entry/ Exit Gate, CCTV, Stair Case	
(a)	Whether Ramp with railing available?	Yes/No
(b)	Whether Entry and exit gate available?	Yes/No
(c)	Whether CCTV available?	Yes/No
(d)	Whether CCTV functional or not?	Yes/No
(e)	Whether Public Address system available in working condition or not?	Yes/No
(f)	Whether staircase of the school is sufficiently wide so that stamping can be avoided? (Minimum width required is 1 meter as per fire safety norms)	Yes/No

	18.Drinking Water facility in School	
(a)	Whether Delhi Jal Board water is available?	Yes/No
(b)	If No, whether Borewell is available or not?	Yes/No

2

S86/C

(c)	Whether water cooler is available in working condition or not?	Yes/No
(d)	Whether RO/Acquaguard is available?	Yes/No
(e)	If yes whether RO/Acquaguard available on each floor or not?	Yes/No
(f)	If no, efforts made by SMC for making them available (in 50 words)	
(g)	If available then whether RO/Acquaguard is Functional?	Yes/No
(h)	If no, efforts made by SMC for making them functional (in 50 words)	

	Particulars	Total No. of Available	No. of additional Water taps and Water Storage Tanks required, if any	Can the requirement be met out of VKS /Building Maintenance Grant	If yes, the Estimated time period by which the requirement shall be met		If no, efforts made by SMC (in 50 words)
(i)	Water taps			Yes/No	Month	Days	
(j)	Water Storage Tanks			Yes/No	Month	Days	
(k)	Date of last cleaning of Water Tank by PWD/MCD (DD/MM/YYYY)						

	19.Toilet Blocks						
	Particulars	No. of Toilet seats Available	No. of Toilet seats Functional	No. of Additional Toilet seats required (if any)	No. of Toilets for which EOR has already been sanctioned	Estimated time of Completion of work through PWD	
(a)	Boys					Month	Days
(b)	Girls					Month	Days
(c)	Differently Abled					Month	Days
(d)	Staff (Male)					Month	Days
(e)	Staff (Female)					Month	Days
(f)	Water supply in toilets				Adequate/Inadequate		
(g)	How many No. of times toilets are cleaned per day						

3

'शिक्षा का अधिकार' के अंतर्गत "विद्यालय विकास योजना" फॉर्मेट

585/C

20.Fire Safety Equipments

(a)	Fire Safety Equipments is available	Yes/No
(b)	If yes, available on each floor	Yes/No
(c)	If not available on each floor, then efforts being made by SMC	
(d)	If available, whether Fire Safety Equipments Functional	Yes/No
(e)	If not functional, then efforts being made by SMC to make them functional	
(f)	If any Fire Safety Equipment's expiry date is over then what steps have been taken by SMC (in 50 words)	
(g)	Whether Disaster Management Plan is available in school?	Yes/No
(h)	Whether monthly mock drill is done?	Yes/No
(i)	Date of last mock drill?	
(j)	Whether emergency alarm available or not?	Yes/No
(k)	If emergency alarm is available whether it is in working condition or not?	Yes / No/Not applicable
(l)	Whether 'Fire safety certificate' obtained from 'Delhi Fire Service' or not?	Yes/No
(m)	If not, efforts made in this direction.	

21.Availability of Desks

	Total no. of desks required as per enrollment	Total no. of Desks available (It includes those which are repairable)	No. of Desks which are repairable	No. of additional Desks required (if any)

22. Teaching Equipments

	Particulars of Equipments*	Available as per requirement of each class	If No, efforts made by SMC to procure them through allotted Science/Sports/TLM fund (in 50 words)	Additional funds required (if any) for equipments
(a)	Science Equipments	Yes/No		
(b)	Teaching Learning Material	Yes/No		
(c)	Games Equipments	Yes/No		
(d)	Play Material	Yes/No		
(e)	Audio Visual Aids	Yes/No		

584/C

*Please specify the equipments (a) to (d) above class wise and subject wise on a separate sheet. In respect of (e) above please specify equipments such as Projector, TV, Computer, CD Player & Educational Games etc.

23.Security, Sanitation and Cleanliness

(a)	Whether security staff is available in school or not?	Yes /No
(b)	If available whether regular or through private agency?	Regular/Private agency
(c)	Whether Sanitation Staff is available in the school?	Yes/No
(d)	Whether Sanitation Staff in school is on regular basis/Through Private Agency	Regular Staff/ Private Agency
(e)	Whether Sanitation Staff available is adequate?	Yes/No
(f)	If No, then please specify no. required; no. available; no. not available	No. required____ No. available____ No. not available____
(g)	In case of Girls/ Co-ed school whether female sanitation worker(s) are available or not?	Yes/No
(h)	Regularity and Punctuality of Sanitation Staff	V.Good/Good/Poor
(i)	Whether payment to Sanitation agency is regular?	Yes/No/Not Applicable
(j)	Whether Class Rooms, Toilets/entire school premises is cleaned regularly?	Yes/No
(k)	Whether requisite No. of dustbins are available in school per class/ rooms?	Yes/No

‘शिक्षा का अधिकार’ के अंतर्गत "विद्यालय विकास योजना" फॉर्मेट

S83/C

(I)	Steps taken by SMC to ensure regularity and punctuality of sanitation staff and to maintain hygienic conditions in School Premises. (in 100 words)	

S82/C

24.Students Attendance					
(a)	Whether online student attendance is marked on regular basis?		Yes/No		
(b)	Total enrollment of students				
(c)	Class wise enrollment of students. (Please use a separate sheet)				
(d)	Name of students Identified (class wise) who were absent long time (more than 30days) without intimation.				
	S.No.	Student ID	Student Name	Class (I-VIII)	Section
(e)	Steps taken by SMC to bring the students in school system who were on long leave or to reduce truancy and steps planned for future. (in 100 words)				
(f)	No. of students class wise who were absent for long time and were brought back into the school system.	Class	No. of Student		
		I			
		II			
		III			
		IV			
		V			
		VI			
		VII			

7

‘शिक्षा का अधिकार’ के अंतर्गत "विद्यालय विकास योजना" फॉर्मेट

581/c

		VIII	
(g)	Whether counseling of parents is done by SMC members to ensure that parents send their wards (children) to school regularly?	Yes/No	

25.Admission of out of school children by SMC in the current year (2013-14)								
Habitation/ Colony	No. of Students Admitted in Class							Total
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	

8

580/c

26. Details of Special Training Centres Functioning					
	Category	Total No. of Students enrolled	No. of Teachers engaged		No. of Children who have completed Special Training
			From School	From out Side	
(a)	Primary (II-V)				
(b)	Upper Primary (VI-VIII)				

27.Mid Day Meal		
(a)	Name of NGO supplying MDM (With name, address, contact numbers and email, fax no. (if any))	
(b)	Total no. of children getting the benefit of MDM	
(c)	Whether online MDM details are filled regularly?	Yes/No
(d)	Whether MDM Committee of the school tastes and supervises MDM distribution regularly?	Yes/No
(e)	Regular Supply of Mid Day Meal	Yes/No
(f)	Quality and distribution of MDM	Satisfactory/ Unsatisfactory
(g)	Timely Payment to Supplier of MDM	Yes/No
(h)	If timely payment not made MDM supplier, reasons thereof and efforts made by SMC in this regard. (in 100 words)	
(i)	Suggestions by SMC regarding improvement in MDM scheme. (in 100 words)	

9

579/c

	28. Welfare Schemes	
(a)	Whether the students have received the benefits of following Welfare Schemes in time?	Yes/No
(b)	Free Text Books	Yes/No
(c)	Uniforms	Yes/No
(d)	Writing material	Yes/No
	29. Teaching Staff	
(a)	Please specify number of teachers of each category	PGT____;TGT____; Assistant Teachers______; Guest Teachers______; Contract Teachers______;Total
(b)	Regularity and Punctuality of teachers in school/ class.	Yes/No
(c)	Whether online staff attendance is marked on regular basis?	Yes/No
(d)	Steps taken by HOS to maintain regularity and punctuality of staff. (in 50 words)	

	30. Performance Level			
	No. of Students who have secured grades in the following slots in the previous class			
	Class	% of Children in Slots		
		'E' Grade	'C' & 'D' grade	'B' grade and Above
(a)	II			
(b)	III			
(c)	IV			
(d)	V			
(e)	VI			
(f)	VII			
(g)	VIII			
(h)	Whether subject wise identification of Weak students is done by teachers?			Yes/No
(i)	Efforts made by SMC for improving the performance level of students. (in 100 words)			
	31.Library			

578/c

(a)	Whether Librarian is posted in School?	Yes/No
(b)	Whether requisite numbers of Books including Subject Books, Story Books are available in Library along with no. of books.	Yes/No No. of books________.
(c)	Whether Books are entered in library module or not?	Yes/No
(d)	Whether books are issued to students for reading on regular basis	Yes/No
(e)	If No, steps taken by SMC for improvement of school library and issuance of books (in 50 words)	
(f)	Availability of News Papers, Magazines, Journals and Periodicals	Yes/No
	32. Health	
(a)	Whether all the children of the school have been examined by doctors under Chacha Nehru Sehat Yojna (CNSY).	Yes/No
(b)	**If no,** the reasons thereof and the steps taken to ensure that all children are examined under CNSY. (in 100 words)	
(c)	Whether all the eligible girl students have got benefited under 'Kishori Yojna' in case of girls/ co-ed school?	Yes/No
(d)	**If no,** the reasons thereof and steps taken to ensure that all the eligible girl students have got benefited under 'Kishori Yojna'. (in 100 words)	
(e)	Whether CWSN have been provided necessary facilities in the school and appliances through SSA/IEDSS?	Yes/No
(f)	No. and types of appliances provided to CWSN. (Give details if required on a separate sheet.)	
(g)	Whether school has special educator(s) for CWSN children?	Yes/No
	33. Sports Training/ Self Defence Training for Girls	
(a)	Whether each student of the school participates in at least one sports event/game?	Yes/No
(b)	**If no,** steps taken by SMC for ensuring the same. (in 50 words)	
(c)	Whether sports material is issued to students in games period regularly?	Yes/No
(d)	Whether adequate sports material is available in the school or not?	Yes/No
(e)	If no, specify the details of additional items and likely expenditure to be incurred to procure them. (Details may be given on a separate sheet)	Total likely expenditure =Rs.________
(f)	Whether any amount has been sanctioned to procure the above specified material? Also specify additional fund required if any.	Yes/No Additional fund required (if any)

		Rs.________
(g)	Whether all the eligible girl students have been given self defence trainings?	Yes/No
(h)	If no, the reasons thereof and steps taken by SMC to impart self defence training to all eligible girl students.(In 50 words)	

	34. Teacher Training	
(a)	Whether the teachers have attended the in-service training programme in their respective subject organized by SCERT/SSA in the session 2013-14?	Yes/No
(b)	Names of teachers who have not attended training programme along with the reasons thereof. (Please use a separate sheet)	
35.	Suggestion of the School Management Committee in the overall development of School (Academics/ Sports/ Co-Scholastic Activities/ Infrastructure etc/ Welfare Schemes) (in 200 words)	

S76/c

Name
Chairperson

(Vice Chairperson)

बच्चे और माता-पिता की भागीदारी

बच्चों के साथ बातचीत	बुनियादी व अहम् ज़िम्मेदारी	बच्चों के साथ शैक्षणिक गतिविधियां	बच्चों के शिक्षक से मिलकर फीडबैक देना या उनसे फीडबैक लेना	बच्चों के साथ कुछ खेल या मनोरंजक कार्य
बच्चे का दिन कैसा रहा इसके बारे में बातचीत करें | 1) जैसे - पूरे दिन में उसे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा आदि | 2) साथ ही बच्चे को अपने दिन के बारे में भी बताएं | रोज़ाना	1) बच्चे को रोज़ाना स्कूल ज़रुर भेजें | 2) बच्चे को यूनिफार्म में स्कूल भेजें | 3) स्कूल जाने से पहले रोज़ाना बच्चों की किताब, बैग चेक करें | रोज़ाना	1) रोज़ाना बच्चे का सारा होमवर्क चेक करें| 2) बच्चे के होम वर्क करते समय कुछ समय उसके साथ बैठें | रोज़ाना	नियमितरुप से बच्चे के टीचर से मिलकर पूछना कि 1) बच्चे की अटेंडेंस कितनी थी /क्या रही? 2) हिंदी पढ़ने व् गणित के स्तर के बारे में पूछना – अन्य विषयों के बारे में भी बात करना| कभी-कभी	कभी-कभी बच्चों को अपने साथ बाजार लेकर जाएँ और अपने बचपन, बाजार से जुड़ी चीज़ों आदि के बारे में बातचीत करें | कभी-कभी
बच्चे के दोस्तों के बारे में बातचीत करना | 1) जैसे - उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है ?उसे वही दोस्त सबसे अच्छा क्यों लगता है आदि | 2) साथ ही उसे भी अपने दोस्त के बारे में बताएं | कभी-कभी	टाइम-टेबल के अनुसार बच्चे को बैग लगाने में बच्चे की मदद करें | रोज़ाना	1) बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाएं या बच्चों से कहानी सुने | 2) साथ मिलकर अखबार पढ़े | कभी-कभी	बच्चे द्वारा स्कूल से जुड़ी बताई गई, अच्छी या बुरी बात को टीचर से साझा करना | कभी-कभी	किसी ऐतिहासिक स्थल (जैसे - कुतुब मीनार, लाल किला आदि) घूमने जाएँ और उस जगह के बारे में बातचीत करें जैसे- 1.वह जगह किसने बनवाई थी? 2.वह जगह क्यों बनवाई गई थी? आदि कभी-कभी
बच्चों के उसके स्कूल के बारे में बातचीत करें | 1) उसे स्कूल में क्या अच्छा लगता है, स्कूल में क्या- क्या परेशानी लगती है आदि | 2) बच्चे को अपने स्कूल के दिनों क बारे में भी बताएं | कभी-कभी	रोज़ाना देखें कि बच्चे को स्कूल से क्या होम वर्क मिला है और उसे पूरा करने में बच्चे की मदद करें | रोज़ाना	हिंदी पढ़ने व् गणित के स्तर के बारे में पूछना – अन्य विषयों के बारे में बच्चे से बातचीत करें और समय-समय पर 'शिक्षा की सीढ़ी' टूल की मदद से बच्चों के शैक्षणिक स्तर जांचे | कभी-कभी	1) बच्चों के व्यवहार में आ रहे सकारात्मक/नकारात्मक बदलाव को उसके टीचर के साथ साझा करें और 2) टीचर से सुझाव लें कि आप घर में क्या कर सकते हैं जिससे बच्चे में अच्छे बदलाव हो | कभी-कभी	बच्चे के साथ लूडो, अन्ताक्षरी, चैस, कैरम या कोई अन्य खेल खेलें | कभी-कभी

मुख्य निर्देश: माता-पिता बताई गई गतिविधियाँ बच्चों के साथ करें \|

देखो क्या सीखा - शिक्षा की सीढ़ी

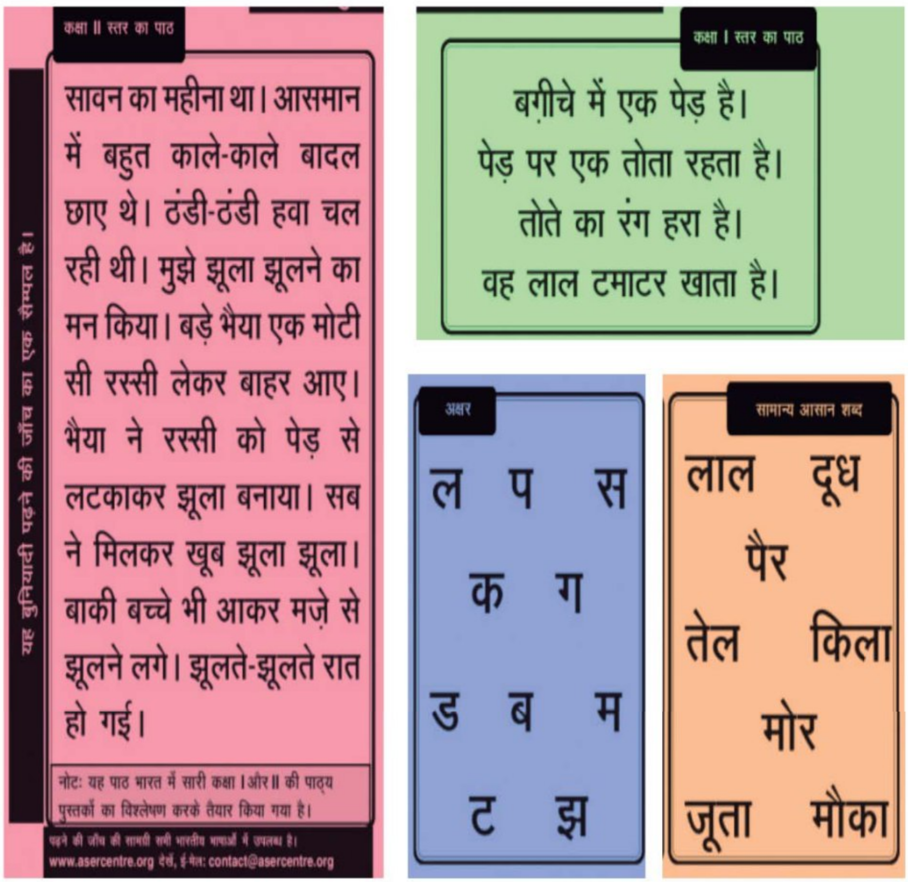

कक्षा II स्तर का पाठ

सावन का महीना था। आसमान में बहुत काले-काले बादल छाए थे। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। मुझे झूला झूलने का मन किया। बड़े भैया एक मोटी सी रस्सी लेकर बाहर आए। भैया ने रस्सी को पेड़ से लटकाकर झूला बनाया। सब ने मिलकर खूब झूला झूला। बाकी बच्चे भी आकर मज़े से झूलने लगे। झूलते-झूलते रात हो गई।

नोटः यह पाठ भारत में सारी कक्षा I और II की पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करके तैयार किया गया है।

यह बुनियादी पढ़ने की जाँच का एक सैम्पल है।

पढ़ने की जाँच की सामग्री सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
www.asercentre.org देखें, ई-मेल: contact@asercentre.org

कक्षा I स्तर का पाठ

बग़ीचे में एक पेड़ है।
पेड़ पर एक तोता रहता है।
तोते का रंग हरा है।
वह लाल टमाटर खाता है।

अक्षर

ल प स
क ग
ड ब म
ट झ

सामान्य आसान शब्द

लाल दूध
पैर
तेल किला
मोर
जूता मौका

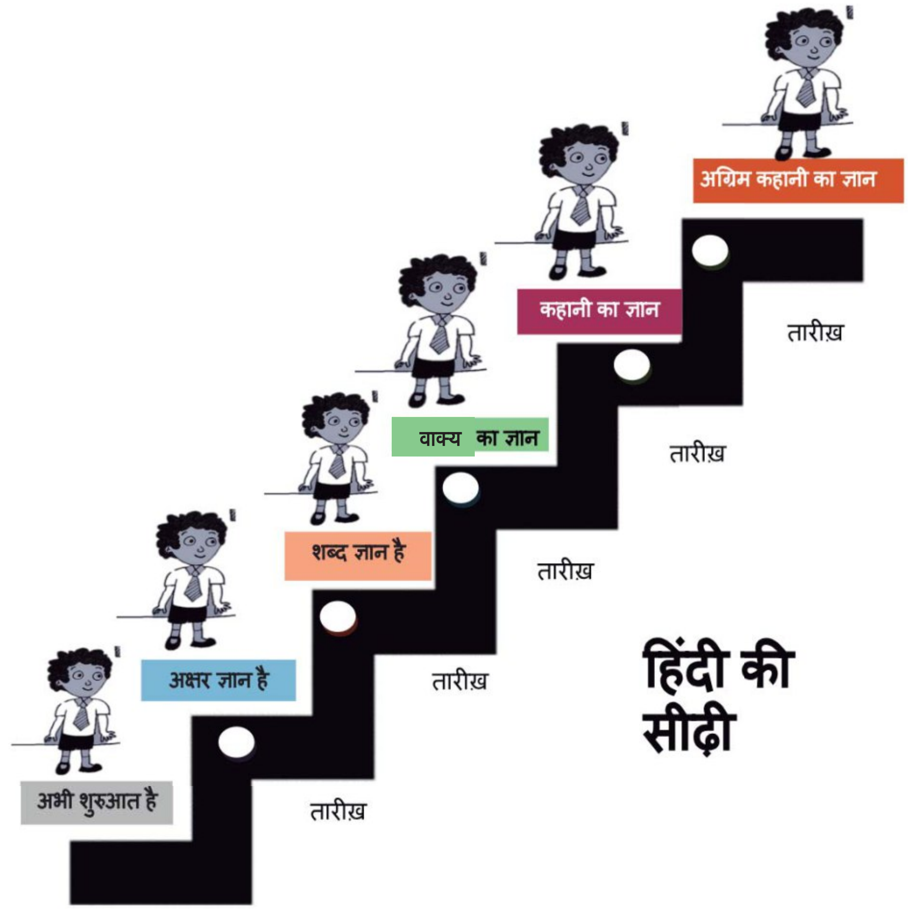

माता- पिता के लिए निर्देश– टीचर की मदद से बच्चे के हिंदी पढ़ने का स्तर जांचना सीखे और घर जाकर बच्चे का स्तर जांचे |

तारीख़ लिखें – जिस दिन बच्चे का स्तर जांचा गया है, वह तारीख़ लिखें |

मुख्य निर्देश: "शिक्षा की सीढ़ी" टूल का प्रयोग मिशन बुनियाद में भी किया गया था |

सैम्पल

असर के बुनियादी पढ़ने की जाँच सामग्रीः हिन्दी

यह बुनियादी पढ़ने की जाँच का एक सैम्पल है।

कक्षा II स्तर का पाठ

सावन का महीना था। आसमान में बहुत काले-काले बादल छाए थे। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। मुझे झूला झूलने का मन किया। बड़े भैया एक मोटी सी रस्सी लेकर बाहर आए। भैया ने रस्सी को पेड़ से लटकाकर झूला बनाया। सब ने मिलकर खूब झूला झूला। बाकी बच्चे भी आकर मज़े से झूलने लगे। झूलते-झूलते रात हो गई।

नोटः यह पाठ भारत में सारी कक्षा I और II की पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करके तैयार किया गया है।

पढ़ने की जाँच की सामग्री सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। www.asercentre.org देखें, ई-मेल: contact@asercentre.org

कक्षा I स्तर का पाठ

बग़ीचे में एक पेड़ है।
पेड़ पर एक तोता रहता है।
तोते का रंग हरा है।
वह लाल टमाटर खाता है।

अक्षर

ल	प	स
क	ग	
ड	ब	म
ट	झ	

सामान्य आसान शब्द

लाल	दूध
पैर	
तेल	किला
मोर	
जूता	मौका

अक्षर/शब्द के लिए: बच्चे से कोई 5 पढ़ने को कहें, कम से कम 4 सही होने चाहिए।

निर्देश : रीडिंग स्तर के टूल को निर्मित करने का श्रेय "असर" को जाता है |

पहला सप्ताह गतिविधियां

सवाल 1 - आपने बच्चे के साथ गतिविधि की ?
सवाल 2 - बच्चे के साथ गतिविधि करने में कोई परेशानी हुई ? [नीचे दिए डिब्बे में सवालों का ज़वाब हाँ (✓) या नहीं (×) में भरें]

गतिविधि	सवाल 1	सवाल 2
बारिश में खेले जा सकने वाले कम-से-कम 10 खेल बच्चों से पूछे||		
बच्चे के साथ मिलकर सोचिए - खूब तेज़ बारिश में आपके घर के आसपास कैसा/क्या दिखाई देता है ?		
बच्चे के साथ मिलकर ऐसी चीज़े सोचकर उनका चित्र बनाओ, जो बारिश के नाम से आपके मन में आती हैं |		

माता-पिता का अभ्यास
1. माता-पिता बच्चों को डांटें नहीं |

दूसरा सप्ताह गतिविधियां

सवाल 1 - आपने बच्चे के साथ गतिविधि की ?
सवाल 2 बच्चे के साथ गतिविधि करने में कोई परेशानी हुई ?
[नीचे दिए डिब्बे में सवालों का ज़वाब हाँ (✓) या नहीं (×) में भरें]

गतिविधि	सवाल 1	सवाल 2
बच्चों के साथ मिलकर सोचें कि बारिश में कितना पानी बरसता है और वह सब पानी कहाँ-कहाँ जाता होगा ?		
बच्चों के साथ मिलकर सोचें कि लोग,कबूतर,केंचुआ, कुत्ता, मछली और मोर ये बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे ? 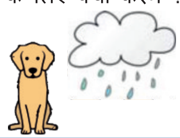		
बच्चों के साथ मिलकर सोचें कि कौन-सी चीज़ें हमें बारिश से बचाती हैं? उनमें से किसी एक चीज़ का चित्र बनाओ |		

माता-पिता का अभ्यास
1. माता-पिता सुनिश्चित करें कि बच्चों को घर में कोई नहीं डांटें |

तीसरा सप्ताह गतिविधियां

सवाल 1- आपने बच्चे के साथ गतिविधि की ?
सवाल 2 - बच्चे के साथ गतिविधि करने में कोई परेशानी हुई ?
[नीचे दिए डिब्बे में सवालों का ज़वाब हाँ (✓) या नहीं (×) में भरें]

गतिविधि	सवाल 1	सवाल 2
बच्चों के साथ मिलकर सोचें कि कागज़, बर्तन, पत्ते, जूते, और दांत को किससे साफ़ करोगे | 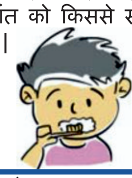		
रुमाल को खूब रगड़ा तो वे फट गया | कागज़,बर्तन,जूते, स्वेटर,फ़र्श को ख़ूब रगड़ें तो क्या होगा?		
बच्चे के साथ मिलकर कागज़ पर कपड़े का एक टुकड़ा चिपकाएं |		

माता-पिता का अभ्यास
1. बच्चे को बोलने का मौका दें |

चौथा सप्ताह गतिविधियां

सवाल 1 - आपने बच्चे के साथ गतिविधि की ?
सवाल 2 -बच्चे के साथ गतिविधि करने में कोई परेशानी हुई ?
[नीचे दिए डिब्बे में सवालों का ज़वाब हाँ (✓) या नहीं (×) में भरें]

गतिविधि	सवाल 1	सवाल 2
रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, सायकिल, ऊँट, स्कूटर, भैंस में से तुमने किस पर सवारी की है? 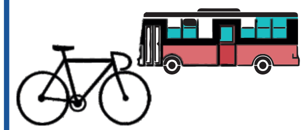		
तुम अपनी दादी/नानी के घर, स्कूल, बाज़ार, पार्क आदि जगह किस सवारी से जाते हो ?		
रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, सायकिल, ऊँट, गोदी, भैंस में से किसकी सवारी के लिए पैसे लगेंगे | 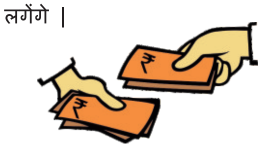		

माता-पिता का अभ्यास
1. बच्चे की बात ध्यान से सुनें |

माता-पिता के लिए निर्देश -
1. माता-पिता बताई गई गतिविधियाँ बच्चों के साथ करें|
2. माता-पिता बताए गए अभ्यास पर ज़रुर कार्य करें |

रोज़ की बातें

दिन	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
स्कूल बेग																														
किताबें व् कापियां																														
स्कूल ड्रेस																														
पानी की बोतल																														
जूते																														

माता-पिता के लिए निर्देश: माता-पिता शीट में लिखी बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी रोज़ की चीज़ें पढ़ें |

समस्या समाधान/समस्या को सुलझाने का फ्रेमवर्क/तरीक़ा

समस्या को समझना
(5 बार क्यों पूछना)

1

1. समस्या से जुड़े कारण जानना |

2. 5 बार 'क्यों - क्यों' कर सवाल पूछने वाले तरीक़े से समस्या के मुख्य कारण तक पहुंचना |

उदाहरण - बानसूर की SMC ने समस्या को समझने के लिए ने बच्चों बातचीत की, उनसे सवाल पूछकर उनके स्कूल से जुडी समस्याओं को नहीं बताने का कारण जाना |

विचार और प्रोटोटाइप (समस्या को सुलझाने के उपाय/समाधान सोचना)

2

1. समस्या के मुख्य कारण को लिखकर/ उसका चित्र बनाकर/बातचीत कर समस्या को परिभाषित करना या सबको समझ आ सके, इस तरह से लिखना |

2. समस्या लिख लेने के बाद अपने सहभागियों को बताना |

3. सदस्यों के साथ बातचीत कर समस्या को सुलझाने के अलग- अलग तरीके/ उपाय/ समाधान सोचना |

4. समस्या को सुलझाने के सोचे गए तरीकों में से सबसे ज़्यादा असरदार तरीके को काम करने के लिए चुनना |

उदाहरण - बानसूर SMC ने कई समाधानों/उपायों (कक्षा में सी.सी.टी.वी. (C.C.T.V) लगाना, अध्यापकों की एक समिति बनाना, अध्यापकों या स्टाफ को पत्र लिखना, बिना नाम के प्रधानध्यापक को पत्र लिखना, सुझाव पेटिका लगाना) की लिस्ट बनाई और उसमें में से एक उपाय - बिना नाम के प्रधानध्यापक को पत्र लिखना व् सुझाव पेटिका चुना | क्योंकि क्योंकि इसमें बच्चे का नाम सामने नहीं आ रहा था इसलिए ये उपाय सबसे ज़्यादा असरदार और करने में आसान था |

समाधान/उपाय का क्रियान्वयन (चुने गए समाधान/उपाय पर कार्य करना)

3

1. चुने गए तरीके पर कार्य करना |

2. यदि चुना गया तरीका असफल हो तो फिर से संभावित समाधानों पर बातचीत कर कोई अन्य समाधान चुन कर उस पर कार्य करना |

उदाहरण - बानसूर की SMC ने पहले प्रधानाध्यापक द्वारा प्रार्थना सभा में बच्चों को बिना नाम के समस्या संबंधित पत्र लिखने को बोला | लेकिन यह उपाय काम न करने पर मादीपुर SMC ने दूसरे उपाय - सुझाव पेटिका पर कार्य करना शुरु कर दिया |

मुख्य निर्देश: दिए गए तरीके से SMC के सदस्य भी अपने स्कूल या समुदाय की समस्या पर समझ बना सकते हैं और उसका समाधान भी निकाल सकते हैं|

Energizers(SMC कार्यशाला के दौरान कराई जा सकने वाली खेल गतिविधि)

क्रमांक	खेल का नाम	खेल की प्रक्रिया	खेल की सामग्री	खेल के लिए समय
1	बूझो तो जाने	1. खेल से पहले कुछ हास्य घटना / स्थिति की पर्ची तैयार करे जैसे- लॉटरी जीतना, जंगल में एक बड़े, आक्रामक, भालू की बैठक, आपको अभी नौकरी से निकाल दिया गया है , मैं ख़ुशी से से पागल हो गया आदि। 2. सभी पर्चियां एक टोकरी में रखे । 3. टीम का साथी सदस्य अपनी इच्छा से उनमें से एक - एक पर्ची उठाएगें । 4. बिना बात किये पर्ची पर लिखी हास्य स्थिति/घटना को चेहरे की अभिव्यक्तियों का उपयोग कर करके दिखाए । 5. टीम के अन्य सदस्य द्वारा वो हास्य घटना / स्थिति पहचाना ।	प्रतिभागियों के अनुसार हास्य घटना/स्थिति की पर्ची । छोटी टोकरी ।	15 -20 मिनट
2	हा हा हा हा हा हा	1. सभी खिलाड़ियों को एक सर्कल में बैठकर शुरू करें। 2. सभी खिलाड़ियों को बताएं कि उन्हें पूरे खेल में जितना गंभीर और गंभीर होना चाहिए। 3. गेम शुरू करने के लिए एक खिलाड़ी को चुनें, एक बार "हा" कहें। 4. उसके आगे खड़े खिलाड़ी कहते हैं कि "हा" शब्द दो बार है। 5. इस पैटर्न के बाद, तीसरा खिलाड़ी "हा" तीन बार कहता है। 6. इसी तरह खेल को आगे बढ़ाये ।		10-15 मिनट
3	2 सच एक झूठ	1. सभी प्रतिभागियों को समूह में विभाजित करे । 2. प्रतिभागियों को अपने बारे में कोई 2 सत्य व् एक झूठ बात सोचने के लिए 3 -4 मिनट का समय दे । 3. सभी समूह के प्रतिभागियों द्वारा अपने समूह में बाते शेयर करने को कहे । 4. समूह के अन्य साथियों द्वारा झूठ बात पहचानने को कहे ।		10-15 मिनट
4	नाम बिंगो	1. सभी प्रतिभागियों को समूह में विभाजित करे । 2. सभी समूह के प्रत्येक प्रतिभागी को अपने साथी सदस्य की एक्टिंग करनी है व् समूह के अन्य सदस्य द्वारा उसे पहचाना है कि वह कौन से सदस्य की एक्टिंग कर रहा है ।		15 -20 मिनट

Energizers(SMC कार्यशाला के दौरान कराई जा सकने वाली खेल गतिविधि)

क्रमांक	खेल का नाम	खेल की प्रक्रिया	खेल की सामग्री	खेल के लिए समय
5	हाँ / ना	1. सभी प्रतिभागियों को 2-2 के समूह में विभाजित करे | 2. एक प्रतिभागी समूह अपने दूसरे सदस्य से कुछ सवाल करेगा जैसे, क्या आपका नाम .... है, क्या आप स्कूल के SMC सदस्य है , क्या आपकी जेब में पेन है , क्या आपके 2 बच्चे है आदि | 3. जवाब देने वाले प्रतिभागी को इसका जवाब हाँ या नहीं में देना है | 4. जवाब देने वाला प्रतिभागी ध्यान दे कि जिस सवाल का जवाब "हाँ" है उसे हाँ बोले पर पर अपनी गर्दन से "ना" का इशारा करे | 5. जिस सवाल का जवाब "ना " है उसे "ना" कहना है पर अपनी गर्दन से "हाँ" का इशारा करे |		15 -20 मिनट
6	7- अप	1. सभी प्रतिभागियों को 12 से 15 के समूह में में खड़ा करे | 2. प्रत्येक समूह में खड़े प्रतिभागी को अपने समूह में 1 से 7 तक गिनती बोलनी है | 3. ध्यान दे- समूह में जो प्रतिभागी गिनती बोलते समय अपने हाथो से इशारा दे जैसे प्रतिभागी ने १ बोला और उसके हाथ का इशारा उसके सीधे हाथ पर खड़े व्यक्ति की तरफ है तो उसके सीधे हाथ की तरफ खड़ा व्यक्ति २ बोलेगा | 4. इसी तरह 6 तक गिनती बोलते रहे | 5. जिस प्रतिभागी के पास 7 आएगा वो 7 न बोलकर "अपने सर पर हाथ रखकर अप" कहेगा | 6. इसी तरह से खेल की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ |		15 -20 मिनट
7	मैं कौन हूँ	1. प्रत्येक समूह को अपने समूह में से किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनने को कहे | 2. फैसिलिटेटर समूह द्वारा चुने प्रतिनिधि को अपने पास बुलाये | 3. फैसिलिटेटर प्रत्येक समूह को लिखी हुई पर्ची दे | 4. समूह के सदस्य पर्ची में लिखा नाम देखे | 5. समूह प्रतिनिधि को समूह सदस्य की पर्ची में लिखे नाम को पहचानना है 6. नाम को पहचानने के लिए प्रतिनिधि अपने समूह सदस्य से कुछ प्रश्न करेगा जैसे- क्या मैं कोई फिल्म हूँ , मैं कोई नेता हूँ , क्या मैं हिंदी में हूँ , क्या मैं खिलाड़ी हूँ ? 7. समूह द्वारा नाम पहचानने के लिए 5 मिनट का समय दे | 8. प्रतिनिधि द्वारा नाम न पहचान पाने पर समूह सदस्य द्वारा पर्ची में लिखा नाम बताये |	नामों की पर्ची	15 -20 मिनट

Energizers(SMC कार्यशाला के दौरान कराई जा सकने वाली खेल गतिविधि)

क्रमांक	खेल का नाम	खेल की प्रक्रिया	खेल की सामग्री	खेल के लिए समय
8	तोता कहता है	1. समूह में से कोई एक प्रतिभागी तोता बनेगा | 2. समूह को बाकी अन्य सदस्य को तोते की सारी बात माननी है जैसे - 3.“तोता कहता है खड़े हो जाओ” तो सभी प्रतिभागी खड़े हो जाएगें | “तोता कहता है ताली बजाओं” सभी प्रतिभागी ताली बजाएगें |		10 मिनट
9	नेता नेता चल बदल	1. सभी प्रतिभगियों को बताये कि आपको अपने समूह से कोई 1 व्यक्ति चुनना है जो बाहर जाएगा | 2. बाहर जाने वाले व्यक्ति को बाहर ले जाकर बताये कि अंदर सभी सदस्यों में से एक ‘नेता’ है जिसे आपको पहचानना है | 3. अंदर बैठे को उनका नेता चुनने को कहे और जैसी गतिविधि नेता करेगा सभी वो ही गतिविधि करे जैसे- नेता अगर ताली बजा रहा सदस्य ताली बजायेंगे ताकि बाहर वाला व्यक्ति नेता को पहचान न सके |		10 - 15 मिनट
10	मेरे समान कौन	1. प्रतिभागियों को उनके स्कूल समूह में विभाजित करें। 2. समूह को पाँच ऐसी चीजों को खोजने के लिए कहें जो उनके टेबल पर अन्य समूह में समान हैं। 3. प्रशिक्षक प्रतिभागियों को खेल के नियम बताए - - खेल के दौरान एक समूह दूसरे समूह के सदस्य से बात नहीं करेगा | - समूह के 4 सदस्य दूसरे समूह की टेबल पर जाएगे जो अन्य समूह में उनकी टेबल के समान चीजों को देखेगे - हर समूह में एक व्यक्ति "अन्य लोगों की टेबल के समान" चीजों/लोगो की सूची बनाएगा | - दूसरा असाइनमेंट पूरा होने पर पूरे समूह को समूह की दस समानताओं की सूची का प्रस्तुतीकरण करने के लिए तैयार रहना चाहिए | - एक समूह दूसरे समूह में जाकर भी देख सकता है | 4. अन्य समूह के सामान चीजों के लिस्ट बनाने के लिए केवल 15 मिनट का समय होगा | 5. 15 मिनट होने के बाद गतिविधि रोक दे | 6. सभी समूहों से प्रस्तुतिकरण करवाए | 7. सभी समूह को कार्यशाला के विषय में संक्षिप्त में बताएं |	नामों की पर्ची	10 - 15 मिनट

स्वाध्यायान्मा प्रमदः

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली

Knowledge & Implementation Partner

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

Saajha